2011/00001

न्यायालय जिला कलक्टर,बाडमेर

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 16/2011

अपीलांट
मंगलाराम पुत्र प्रभूराम जाति मेगवाल निवासी टांको की ढाणी(पायलां कला) तहसील सिणधरी

बनाम्

रेस्पोडेंट्स
1.उप तहसीलदार सिणधरी
2.खरताराम पुत्र गुमनाराम
3.मेहाराम पुत्र गुमनाराम
4.मु.रूखमों पत्नि गुमनाराम जाति मेगवाल निवासी टांको की ढाणी(पायलां कला) तहसील गुड़ामालानी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनाक 31.12.2010 द्वारा उप तहसीलदार,सिणधरी

उपस्थितः– 1.श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3.श्री रामस्वरूप शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट 02 से 04 की ओर से।

निर्णय दिनांक 12.04.2016

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 66 रकबा 32 बीघा 09 विस्वा, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.04 विस्वा, खसरा नम्बर 72 रकबा 40 बीघा 14 विस्वा व खसरा नम्बर 79 रकबा 07 बीघा 14 विस्वा कुल रकबा 81 बीघा 01 विस्वा ग्रामों टांको की ढाणी में आये हुए है। इसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा व शेष हिस्सा 1/2 रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 का है। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर उप तहसीलदार सिणधरी ने बाद जॉच अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2010 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मियाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलबी।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि मौजा टांको की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 66 रकबा 32 बीघा 09 विस्वा, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.04 विस्वा, खसरा नम्बर 72 रकबा 40 बीघा 14 विस्वा व खसरा नम्बर 79 रकबा 07 बीघा 14 विस्वा कुल रकबा 81 बीघा 01 विस्वा ग्रामों टांको की ढाणी में आये हुए है। इसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा व शेष हिस्सा 1/2 रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 का है। इसी आराजी को पक्षकार आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपने अपने हिस्से में आवासीय ढाणीयां बनी हुई है। प्रशासन गांवो के संग अभियान में पक्षकारान ने विभाजन, कब्जा अनुसार अपनी सहमति दी। पटवारी हल्का ने मौका अनुसार विभाजन आवेदन तैयार करते समय इसी अनुरूप नक्शा बनाने का आश्वासन दिया था। मगर भौतिक कब्जा काश्त अनुसार नक्शा नहीं बनाया। खेत खसरा नम्बर 66 की पूरी भूमि अपीलांट को दी गई इस खसरा नम्बर 66 की भूमि खसरा नम्बर 72 के मुकाबले घटिया है, जिससे अधिक उपजाऊ भूमि रेस्पोडेंट को व घटिया भूमि अपीलांट के पक्ष में दी गई है। अपीलांट की आवासीय ढाणी वाला भाग रेस्पोडेंट के हिस्से में दिया गया जबकि विभाजन इस तरह से किया जाना चाहिये ताकि पक्षकारान को वास्तविक कब्जे मे कम से कम परिवर्तन हो। इससे विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त अनुसार नहीं है। अपीलांट का इस विभाजन से रहवासीय ढाणी का आवास पूर्व कब्जा पूर्ण रूप से प्रभावित रहा है। मियाद के सम्बन्ध में इनका तर्क है कि विभाजन प्रस्ताव के तस्दीक होने के पश्चात् पक्षकारान के अपने अपने भूखण्ड पर नाप कर चिन्हित न करने के कारण अपीलांट को वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ अपीलाधीन आदेश का अपीलांट को विवाद की स्थिति पैदा होने पर व विभाजन आदेश की हल्का पटवारी से नकले प्राप्त करने पर दिनांक 29.07.2011 को हुआ और वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अंदर मियाद पेश की है। अपीलांट की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट व अन्य सह खातेदारों–उतरदातागण द्वारा अपने खातेदारी खेत मौजा टांको की ढाणी के खसरा नम्बर 66,71, व 73 की भूमि में सभी खातेदारों ने आपसी सहमति से

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिनांक 31.12.2010 को उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा बंटवाड़ा नक्शा मौके पर जाकर सभी खातेदारान की मौजूदगी में तैयार कर रिपोर्ट बनाकर उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अपीलांट एंव रेस्पोंडेंट की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन आपसी सहमति से हुआ है। जिसे उप तहसीलदार सिणधरी ने समस्त काश्तकारों की सहमति एंव उनकी उपस्थिति में बाद जॉच सही रूप से विभाजन विलेख को स्वीकृत करने का आदेश पारित किया है। इसलिये अपीलांट की अपील गलत तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त की जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख एंव तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील उप तहसीलदार, सिणधरी द्वारा बंटवाड़ा आदेश दिनांक 31.12.2010 को स्वीकृत करने के विरूद्ध पेश की है। मौजा टांको की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 66 रकबा 32 बीघा 09 विस्वा, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.04 विस्वा, खसरा नम्बर 72 रकबा 40 बीघा 14 विस्वा व खसरा नम्बर 79 रकबा 07 बीघा 14 विस्वा कुल रकबा 81 बीघा 01 विस्वा भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंटस की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलांटस एंव रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त के अनुसार नहीं है। इस सम्बन्ध मे हमने तहसीलदार,सिणधरी से मौके की वास्तविक स्थिति की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उप तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका जॉच दिनांक 30.09.2012 अनुसार मौके पर तरमीम करते समय खातेदार मंगलाराम वल्द प्रभुराम कौम मेगवाल के कब्जे सुदा भूमि में उनके भतीजे खातेदार खरथाराम मेहाराम पिसरान गुमनाराम व रूखमो देवी पत्नि गुमनाराम के हक में दर्ज हो गई है, जो गलत बतायी गयी है। विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 71 व 72 का विभाजन करते वक्त खसरा नम्बर 71 गैर मुमकिन ढाणी व खसरा नम्बर 72 की तीन बीघा भूमि जो गैर मुमकिन ढाणी से दक्षिण पश्चिम मेड तक खातेदार मंगलाराम पुत्र प्रभुराम के कब्जे की है,जो उनके भतीजो खरताराम वगैरा के नाम बंटवाड़े में दर्ज होना गलत बताया है इसी प्रकार तीन बीघा भूमि खरताराम वगैरा की खसरा नम्बर 66 में

जिला कलक्टर
बाड़मेर

काबिज थी जो बंटवाडे में खसरा नम्बर 66 में नहीं बताई, जो भी गलत बतायी गई है, तथा विभाजन प्रस्ताव मौके व कब्जे अनुसार नहीं होना एंव इसके लिये दोनो पक्षों की सहमति बतायी है। इस प्रकार पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त विभाजन नहीं हुआ है और राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सिणधरी ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जॉच नहीं की। जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र पेश किया है जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है, जो स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2010 को अपास्त किया जाता है, और तहसीलदार,सिणधरी को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार एंव राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 12.04.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर